न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – चन्द्रशेखर भण्डारी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 315/2018 प्रा0प0

दायर दिनांक – 01/06/2018

निर्णय दिनांक – 26/06/2019

अनवान

1. मोहनी पुत्री हेमा पत्नी भारमल सालवी, निवासी पनोतिया, तहसील रेलमगरा
2. उगमी पुत्री हेमा पत्नी माधु सालवी निवासी पनोतिया, तहसील रेलमगरा, हाल निवासी बलाई मोहल्ला, सहाडा
3. धापू बाई पत्नी हेमा सालवी, निवासी पनोतिया तहसील रेलमगरा,

प्रार्थीगण

बनाम

1. रोशनलाल पिता भगवानलाल उर्फ भोना खटीक निवासी पनोतिया तहसील तहसील रेलमगरा,

विपक्षीगण

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 एवं 111 भू0रा0अ0

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 एवं 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम पनोतिया में प्रार्थीगण के खातेदारी, स्वामित्व, आधिपत्य एवं उपयोग –उपभोग की वर्तमान खाता सख्या 142 नया, पुराना 142, आराजी संख्या 500, 873, 878, 1174/873 कुल किता 4, कुल रकबा 09 –03 बीघा स्थित है। पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के चारों ओर विपक्षीगण व प्रार्थीगण के मध्य कोई सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण मिलकर प्रार्थीगण की जमीन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नाजायज रूपेण कब्जा करने पार आमादा है एवं बिना सीमा चिन्ह की वजह से मौके पर सीमा का विवाद पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के खाते की आराजीयात, जिसका विवरण प्रार्थना –पत्र के पैरा संख्या 01 में दिया गया है, उक्त खातेदारी जमीन के बीच में पत्थरगडडी किया जाना न्यायोचित हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधि
रेलमगरा

जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना– पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना – पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के चारो दिशाओं की तरफ भी सम्पुर्ण आराजीयात की सीमा की पत्थरगडडी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलबध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन कराये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 एवं 111 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम पनोतिया में प्रार्थीगण के खातेदारी, स्वामित्व, आधिपत्य एवं उपयोग –उपभोग की आराजी संख्या 500, 873, 878, 1174/873 कुल किता 4, कुल रकबा 09 –03 बीघा की पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण कमिश्नर शुल्क एक दिन का वेतन अदा करें। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 26/06/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
लेण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा